कार्यालय- प्रधानाचार्य, छत्रपति शाहूजी महाराज राजकीय पॉलिटेक्निक, अम्बेडकरनगर |

पत्रांक- 943 **/उद्यमिता विकास/ 2024-25 दिनांक-** 10/01/2025

आवश्यक सूचना

संस्था में अध्ययनरत एवं संस्था के Alumni समस्त छात्र/ छात्राओं को सूचित किया जाता है कि प्रदेश के युवाओं को उत्पाद एवं सेवा क्षेत्र हेतु उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने एवं इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजित किये जाने के उद्देश्य के साथ प्रदेश सरकार द्वारा **"मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान"** प्रारम्भ किया गया है | इस योजना के अंतर्गत 21 वर्ष से 40 वर्ष तक के प्रदेश के युवा, जो कक्षा-8 पास हैं तथा वे उत्पाद/ सेवा सम्बन्धी उद्यम स्थापित करके स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हों, उनको **रु० 5 लाख** तक का 4 वर्षों तक 100% **ब्याज-मुक्त** एवं **बिना गारंटी के ऋण** उपलब्ध कराया जा रहा है | तथा परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी अनुदान भी प्रदान किया जाएगा |

अतः अधिक से अधिक छात्र/ छात्राएं उक्त योजना हेतु अपना आवेदन करें, और इस योजना का लाभ उठाएं | आवेदन MSME पोर्टल https://msme.up.gov.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है अथवा जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र पर जाकर भी वहाँ से आवेदन करवा सकते हैं |

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत उदाहरणार्थ उत्पाद/ सेवा क्षेत्र की परियोजनाएं- टेलरिंग/ बुटीक/ ब्यूटी पार्लर/ हेयर कटिंग सैलून / रेस्टोरेंट/ कार वाशिंग उत्पाद/ नमकीन निर्माण/ फ़ूड ट्रक/ लांड्री/ लाइट टेंट हाउस/ डेयरी उत्पाद/ छोटे मोटर वाहन इत्यादि |

R.K. Sarg

प्रधानाचार्य

प्रधानाचार्य
छत्रपति शाहू जी महाराज
राजकीय पालीटेक्निक
अम्बेडकरनगर

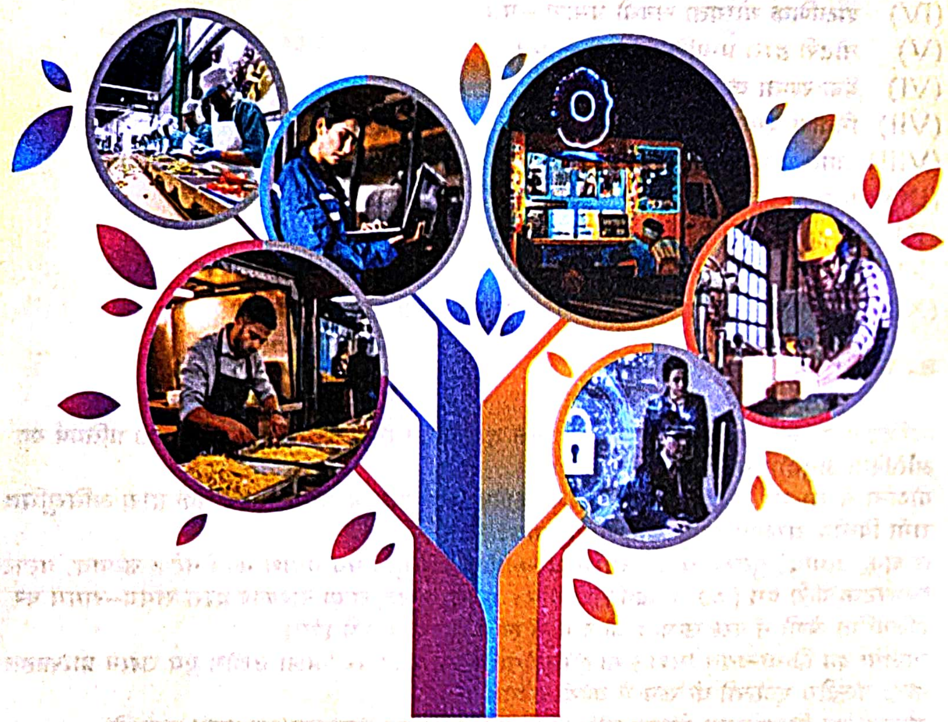

सौजन्य से-उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, अम्बेडकरनगर

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान

"हर कदम उद्यमिता की ओर, हर युवा आत्मनिर्भरता की ओर"

योजना के मुख्य आकर्षण

- 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष तथा 10 वर्ष में कुल 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर।
- 21 से 40 वर्ष आयु, न्यूनतम 8 वीं पास की शैक्षणिक योग्यता तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र।
- रूपये 5 लाख तक के उद्योग/सेवा परियोजनाओं पर 100% ब्याज मुक्त एवं बिना गारंटी के ऋण।
- परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी अनुदान।

वेबसाइट https://msme.up.gov.in पर ऑन–लाईन आवेदन की सुविधा।

अधिक जानकारी के लिए स्कैन करें

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, कानपुर/मिशन निदेशक, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान मिशन कार्यालय, निर्यात भवन, 8 कैण्ट रोड, कैसरबाग, लखनऊ–226001

अधिक जानकारी हेतु कृपया एम.एस.एम.ई. पोर्टल https://msme.up.gov.in पर लॉग–इन करें अथवा अपने जिला उद्योग केन्द्र/सी.एफ.सी. केन्द्र से सम्पर्क करें।

ब्याज मुक्त लोन

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान हेतु क्रियान्वयन निर्देशः-

मुख्यमंत्री युवा विकास अभियान /योजना प्रदेश में लागू की गयी है ।

1. योजना की मुख्य बातें

- कौशल प्रशिक्षण प्राप्त 21-40वर्ष के युवाओं को उत्पाद / सेवा सम्बन्धी उद्यम स्थापित कराकर स्वरोजगार से जोड़ना । प्रतिवर्ष 01 लाख युवाओं को स्वरोजगार, 10 वर्षो में 10 लाख स्वरोजगार के अवसर सृजित करना ।
- योजना के अन्तर्गत इस डाटा के अतिरिक्त आप के पास विगत वर्षो में ओ0डी0ओ0पी0/ विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना /अन्य पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति/उद्यमिता विकास प्रशिक्षण/ विभिन्न हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि में प्रशिक्षित अभ्यर्थी पात्र होंगे

2. प्रथम चरण

- रू. 5 लाख तक की परियोजनाओं हेतु 4 वर्षो तक 100% ब्याज मुक्त कोलेटरल गारंटी मुक्त ऋण ।
- सामान्य वर्ग के लाभार्थी को परियोजना लागत का 15% अन्य पिछड़ा वर्ग को 12.5%, एस0सी0/एस0टी / दिव्यांग को 10% लाभार्थी को स्वयं का अंशदान जमा करना होगा
- परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी अनुदान एवं चार वर्षो तक सी0जी0टी0एम0 एस0ई0 प्रतिपूर्ति ।
- परियोजना लागत में भूमि-भवन सम्मिलित नहीं होगा तथा कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10% टर्म लोन के रूप में होना अनिवार्य होगा।

3. द्वितीय चरण

- प्रथम चरण में लिये गये मूलधन/पेनल इंटरेस्ट की पूर्ण वापसी करने वाला अभ्यर्थी पात्र होगा।
- रू0 10.00 लाख तक परियोजना स्थापित की जा सकेगी, परन्तु रू0 7.5 लाख तक के ऋण पर 50 प्रतिशत ब्याज अनुदान 03 वर्षो तक दिया जायेगा।
- ऋण में परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत टर्म लोन होना अनिवार्य होगा तथा इसमें वर्कशॉप/वर्कशेड की लागत शामिल की जा सकेगी।

4. पात्रता की शर्तें

- आयु सीमा-21 से 40 वर्ष ।
- शैक्षणिक योग्यता-न्यूनतम कक्षा-8 उत्तीर्ण, इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष को वरीयता ।
- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ओ0डी0ओ0पी0 प्रशिक्षण योजना, एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 प्रशिक्षण योजना, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षित अथवा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से स्किल सम्बन्धी सर्टीफिकेट/डिग्री/डिप्लोमा आदि प्राप्त हो।

5. आवेदन प्रक्रिया

- एम0एस0एम0ई0 पोर्टल https//msme-up-gov-in पर ऑन-लाइन आवेदन ।
- जिला उद्योग विकास एवं उद्यमिता प्रोत्साहन केन्द्र में ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन रूप से बैंको को प्रेषण ।
- बैंको के स्तर पर प्राप्त आवेदनों पर समयबद्ध रूप से ऋण स्वीकृत/वितरण की व्यवस्था ।
- बैंको द्वारा ऑनलाइन रूप से मार्जिन मनी, ब्याज उपादान, सी0जी0टी0एम0एस0ई0 प्रतिपूर्ति प्राप्त किये जाने की व्यवस्था ।

- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अन्तर्गत समिति द्वारा रू0 5.00 लाख तक के सम्भावित उद्योग/सेवा क्षेत्र की परियोजनाओं की परियोजनाऐं यथा-टेलरिंग/बुटिक/ब्यूटीपार्लर/हेयर कटिंगशैलून/ रेस्टोन्ट/कार वासिंग उत्पाद/नमकीन निर्माण प्रचलित हस्तशिल्प उत्पादों से सम्बधित उद्योग/सेवा /फूड ट्रक / लांड्री /लाइट टेन्ट हाउस/ डेयरी उत्पाद /छोटे मोटर वाहन इत्यादि हेतु पात्र होगें।

7. आवश्यक प्रपत्र/दस्तावेज

(I) आधार (मो0 नं. आधार से जुडा होना चाहिए)
(II) फोटो
(III) स्कैन्ड हस्ताक्षर
(IV) शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण -पत्र
(V) नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ - पत्र
(VI) बैंक खाता के पासबुक की प्रति
(VII) निवास प्रमाण-पत्र की प्रति
(VIII) जाति प्रमाण-पत्र की प्रति
(IX) पैन कार्ड
(X) मोबाइल नं0
(XI) परियोजना रिपोर्ट
(XII) किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रदत्त प्रशिक्षण प्रमाण पत्र ।

8. विविध

डिजिटल ट्रांजैक्शन के सापेक्ष रू0 01 प्रति ट्रांजैक्शन तथा अधिकतम रू0 2000 प्रतिवर्ष का अतिरिक्त अनुदान प्रति लाभार्थी देय होगा।
योजना में समस्त राष्ट्रीयकृत/शेडयूल्ड/ग्रामीण बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित सभी वित्तीय संस्थाएं ऋण वितरण हेतु पात्र।
तम्बाकू उत्पाद, गुटखा पान मसाला अल्कोहल, वातयुक्त पेय पदार्थ कार्बोनेटेड उत्पाद, पटाखे, प्लास्टिक कैरी बैग (40 माइक्रॉन से कम) अथवा भारत/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधित श्रेणी में रखे उत्पाद योजना में लाभ हेतु पात्र नहीं होंगे।
योजना का क्रियान्वयन मिशन मोड में होगा। जिले स्तर पर जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र केन्द्रीय एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा।
योजना का क्रियान्वयन मिशन मोड में होगा योजना का संचालन/अनुश्रवण इत्यादि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई मिशन निदेशक की अध्यक्षता में राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, प्रमुख सचिव एम0एस0एम0ई0 की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शासकीय समिति के माध्यम से किया जायेगा।